प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट या1चिका सेवा क्रमांक- 6417/2019

- एस. एस. जयसी, आत्मज स्वर्गीय श्री एस. जयसी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 16, मुलकादम, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़
2. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री दीक्षा गौरहा, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य की ओर से : श्री राज कुमार गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता

खंडपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

बोर्ड पर आदेश

गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश के अनुसार

13/06/2024

1. इस याचिका में, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास (राजपत्रित) सेवा नियम, 2013 (संक्षेप में 'नियम, 2013') के नियम 13, 14 और अनुसूची IV को अधिकारातीत घोषित करने की प्रार्थना कर रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 06.03.1982 को, याचिकाकर्ता प्रथमतः मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग में ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था। 10.02.1983 को, याचिकाकर्ता की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सेवक

के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1985 में, ग्राम सेवक के पद को ग्रामीण विकास विभाग (मध्य प्रदेश) में सहायक विकास विस्तार अधिकारी में बदल दिया गया और विभाग का नाम भी बदलकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कर दिया गया। वर्ष 1988 में, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सेवा नियमों को अधिसूचित किया और इसके अनुसूची IV के अनुसार सहायक विकास विस्तार अधिकारी, निश्चित सेवा अवधि पूरी करने पर विकास विस्तार अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के योग्य थे। बाद में, मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास (राजपत्रित) सेवा नियम, 1988 में संशोधन किया गया और इसके अलावा विकासखंड अधिकारी का पद निर्मित किया गया, जिसके लिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा विकास विस्तार अधिकारी के पद पर न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा की योग्यता की आवश्यकता थी, जिसमें विकास विस्तार अधिकारी के पद पर कम से कम 03 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक थी।

3. तत्पश्चात, वर्ष 2000 में, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रूप में अवशोषित किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, 01.04.2008 को विकासखंड अधिकारी के पद पर उसकी पदोन्नति देय थी क्योंकि उसने 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, पर याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं किया गया। बाद में नियम, 2013, जिसे चुनौती दी गयी है, बीच में लाया गया, जिसमें विकासखंड अधिकारी के पद को मृतक संवर्ग घोषित कर दिया गया परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को विकासखंड अधिकारी के पद से वंचित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सुश्री दीक्षा गौरहा, याचिकाकर्ता की विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता को 01.04.2008 को विकासखंड अधिकारी के अपने देय पदोन्नति के पद पर पदोन्नत किया गया होता, तो उन्हें लाभ हुआ होता, लेकिन इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण पदोन्नत नहीं किया गया और इस बीच, नियम, 2013, जिसे चुनौती दी गयी है, लागू हुआ और पदोन्नति के लिए उनके विकासखंड अधिकारी के रूप अधिकार संकुचित हुए। यह अभिकथित किया गया है कि इन परिस्थितियों में, विकासखंड अधिकारी के पद को मृतक संवर्ग घोषित किया गया, और नियम 2013 याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के अधिकारातीत है क्योंकि वह अपनी सेवा अवधि के दौरान पदोन्नति के लिए हकदार था। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि वर्ष 2013 में हुआ पश्चात् संशोधन

को भी चुनौती दी गयी है, जिसमें यह तथ्य है कि विकासखंड अधिकारी के पद को मृतक संवर्ग घोषित किया गया था। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इसलिए पदोन्नति पद का उनका हक, जो 01.04.2008 को देय था, दिया जाना चाहिए था।

अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद व अन्य बनाम के.जी.एस. भट्ट व अन्य[1], भारतीय खाद्य निगम व अन्य बनाम परशुराम दास बंसल व अन्य[2], त्रिपुरा राज्य व अन्य बनाम के.के. रॉय[3], पंचराज तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य[4]** और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के प्रकरण के निर्णय **सुरेंद्र कुमार परमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य(सी.डब्ल्यू.पी.क्र. 5104/2010, दिनांक 04.01.2011)** का सहारा लिया है।

5. इसके विपरीत, श्री आर.के. गुप्ता, राज्य/उत्तरवादीगण के विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता तर्क किया है कि पदोन्नति का दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क किया है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है कि किसी सामान अधिकारी को पदोन्नत करने के लिए कोई प्रयास किया गया एवं समग्र रूप से, शासन ने अपने प्रशासनिक कार्य में, बिना किसी भेदभाव के, विकासखंड अधिकारी के पद को मृतक संवर्ग घोषित किया है। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को समयबद्ध वेतनमान प्रदान किया गया था, इस प्रकार पदोन्नति लागू नहीं की जा सकती है। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि यह राज्य का विशेषाधिकार है कि वह पद को जारी रखे या उसे समाप्त करे, जो संशोधन के माध्यम से किया गया है और इसलिए, नियम 2013 को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **भारत संघ व अन्य बनाम कृष्णा कुमार व अन्य[5]** का सहारा लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा अभिलेख की सामग्री का अवलोकन किया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही विकास विस्तार अधिकारी के रूप में अपना कार्य निर्वहन किया है, और यदि पदोन्नति समय पर

---

[1] (1989) 4 SCC 635
[2] (2008) 5 SCC 100
[3] (2004) 9 SCC 65
[4] (2014) 5 SCC 101
[5] (2019) 4 SCC 319

की गई होती, तो उन्हें 01.04.2008 को विकासखंड अधिकारी के पद पर जो देय था, पदोन्नत किया गया होता। यह प्रथम दृष्टया तार्किक प्रतीत होता है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि वह अपने किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत करे या न करे।

8. यह स्थापित विधि है कि पदोन्नति के निहित अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, परंतु नियम जो उस दिन प्रभावी हों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, जिस दिन पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। यदि पदोन्नति नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में, भेदभाव निरस्त होता है। राज्य ने अपने विशेषाधिकार द्वारा संशोधित नियम 2013 द्वारा, विकासखंड अधिकारी के पद को मृतक संवर्ग घोषित किया है। न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा में कार्यकारी कर्त्तव्य के अंतर्गत आने वाले कार्य नहीं करेगी जब तक यह दर्शित न हो कि यह भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विपरीत है।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि विधान के पक्ष में बेहद मजबूत धारणा होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने **मैथ्यूज जे. नेदुमपारा बनाम भारत संघ**[6], की कंडिका 19 में निम्नानुसार अभिनिर्णित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"19. आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ[7] में, निम्नानुसार अभिनिर्णित किया गया है:

"7. अब जबकि एक अधिनियम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने की संवैधानिक वैधता पर विचार किया जा रहा है, न्यायिक समीक्षा के अपने संवैधानिक कार्य के निर्वहन में मार्गदर्शन के लिए न्यायालयों द्वारा नियमों के रूप में विकसित कुछ सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम नियम यह है कि संविधान की वैधता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और जो इसको चुनौती दे रहा है उस पर यह प्रमाणित करने का भार होता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। यह नियम इस धारणा पर आधारित है कि, न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकार्यता है कि विधायिका अपने स्वयं के लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है, उसके कानून अनुभव द्वारा, प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित होते हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित होते हैं। संवैधानिकता की धारणा वास्तव में इतना मजबूत है कि इसे बनाए रखने के लिए, न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, सामायिक इतिहास पर विचार कर और तथ्यों की हर स्थिति को राज्य धारणा मान सकता है जिसकी विधान निर्माण के समय मौजूद होने की कल्पना की जा सकती है।"

---

[6] (2024) 1 SCC 1: 2023 SCC Online SC 1339
[7] (1981) 4 SCC 675: (1982) SCC (Tax) 30

10. सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र बैंक (अधिकारी) सेवा नियम, 1982 के विनियमन 17(1), जो बैंक कर्मचारियों के पदोन्नति मार्गों से संबंधित है की वैधता पर विचारण करते हुए **आंध्रा बैंक बनाम बी. सत्यनारायण**[8] के प्रकरण में, निम्नानुसार अभिनिर्णित किया है:-

"11. यह सेवा न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि नियोक्ता अपने अधिकारियों को पदोन्नति देने के मानदंड निर्धारित करने वाली नीतिगत निर्णय लेने का अधिकारी है। ऐसी पदोन्नतियों के लिए पात्रता मानदंडों को बैंक द्वारा एक यथार्थवादी आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां उचित पदों को संभालने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा का चयन करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी है। एक बार जब किसी प्राधिकरण को किसी विधान के प्रावधानों के कारण शक्ति प्राप्त होती है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति का समय-समय पर प्रयोग किया जा सकता है। प्रबंधन की आवश्यकता के साथ-साथ प्रासंगिक समय पर प्राप्त परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एक बात है कि धारा 19 के कारण, संसद ने बोर्ड निर्देशकों को विनियमन बनाने के लिए आवश्यक विधायी कार्य सौंपे हैं, परंतु यह अलग बात है कि विनियमन मनमाना और अधिकारातीत है, क्योंकि इसमें पर्याप्त दिशानिर्देश शामिल नहीं हैं। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि अधिनियम की धारा 17 के अनुसार निदेशक या संसद की आवश्यक विधायी सक्षमता को बोर्ड को सौंप दिया गया है ।"

11. यद्यपि शक्ति का नियंत्रण न्यायालय का कर्तव्य है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए न्यायालय को हमेशा विधायी ज्ञान और कार्यकारी सक्षमता का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने **जया ठाकुर बनाम भारत संघ**[9] में, निम्नानुसार अभिनिर्णित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

68. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के उपरोक्त दो अंग अर्थात् विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने का एक शक्तिशाली हथियार है। इस न्यायालय की भूमिका यह जांच करने तक सीमित है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपे गए अधिकारों और कर्तव्यों के भीतर कार्य किया है। किन्तु, ऐसा करते समय, न्यायालय को अपनी स्व-आरोपित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।"

---

12. अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर, ने **ट्रॉप बनाम डुलेस**[10] के विवादास्पद निर्वासन प्रकरण में असहमति व्यक्त करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्णित किया है:-

---

[8] (2004) 2 SCC 657
[9] (2023) 10 SCC 276
[10] 1958 SCC OnLine US SC 62: 2 L Ed 2d 630: 356 US 86 (1958)

"57.... मैडिसन के वाक्यांश अनुसार, सभी शक्ति, "की प्रकृति अतिक्रमणकारी" है,.... न्यायिक शक्ति इस मानवीय कमजोरी से सुरक्षित नहीं है। उसे भी अपनी उचित सीमाओं को लांघने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस पर एकमात्र संयम आत्म-संयम है

58. शक्ति की सीमाओं और शक्ति के बुद्धिमान प्रयोग के बीच के अंतर का कठोर पालन, इन दो अवधारणाओं, अधिकार के प्रश्नों और विवेक के प्रश्नों के बीच- के इस निर्णायक लेकिन सूक्ष्म संबंध की सबसे सतर्क सराहना की आवश्यकता है। यह अंतर का पालन करने के लिए एक अनुशासित इच्छा की आवश्यकता कमतर नहीं है। यह आसान नहीं कि पृथक रहकर एवं प्रज्ञता की कमी से अभिभावी न होकर, अपने दृढ़ दृष्टिकोण की अवहेलना कर क्या ज्ञानपूर्ण है से कार्य का आचरण किया जाये। किन्तु यह न्यायालय का कार्य नहीं है नीति की घोषणा करें। न्यायालय को अपनी शक्ति की सीमाओं का दृढ़ता से सम्मान करते हुए पालन करना चाहिए, तथा क्या बुद्धिमान या राजनीतिक उसपर न्यायालय को अपने विचारों को प्रभावी बनाने से रोकता है। आत्म-संयम न्यायिक शपथ के पालन का सार है, क्योंकि संविधान ने न्यायाधीशों को विधायिका और कार्यकारिणी शाखा द्वारा किए गए कार्यों के ज्ञान पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि पदोन्नति का अधिकार निहित नहीं है, तो ऐसे में, याचिकाकर्ता किसी भी तरह के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा, जब पदोन्नति के अभाव में समयबद्ध वेतनमान पहले ही प्रदान किया जा चुका है, तो यह आगे उस तार्किक आवश्यकता को पूरा करता है, जो याचिकाकर्ता को दी गई थी। समयबद्ध वेतनमान एक प्रतिपूरक उपाय के रूप में दिया जाता है, यदि पदोन्नति पद के अभाव में पदोन्नति मार्ग आगे अवरुद्ध हो जाते हैं। समयबद्ध वेतनमान प्राप्त कर याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता हैं अर्थात यह कि उसकी पदोन्नति 01.04.2008 को होनी चाहिए थी।

14. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त प्रतिपादनाओ के आलोक में,हम याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं और यह खारिज किये जाने योग्य है एवं एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया

जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur